प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.4.2019 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा रंगदारी(गुन्डा टैक्स) व रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 25.04.2019 को वादी रवि चौधरी पुत्र बलवीर चौधरी नि0 धाकरे कालोनी रूनकता थाना सिकन्दरा जनपद आगरा से नवनीत यादव द्वारा 3,50,000 रूपये की रंगदारी मांगने व रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिसमें वादी व वादी के दोस्त का बाल–बाल बच जाने के सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 331/2019 धारा 307/386/504 भा0द0वि0 पंजीकृत है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक हरीपर्वत के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्दरा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। दिनांक 25.04.2019 को दौराने सूचना संकलन व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त नवनीत यादव खडवाई नहर पुल के पास खड़ा है बताये स्थान पर पहुंचने पर एक बारगी दबिश देकर अभि0 नवनीत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.04.2019 को अपने दोस्त के साथ जा रहे रवि चौधरी निवासी रूनकता थाना सिकन्दरा को मेरे द्वारा अनिल गोल्ड स्टोरेज पर मेरे द्वारा रोका गया तथा 3,50,000 रूपये की फिरौती मांगी गयी। जब उसने आनाकानी की तथा वहां से जाने की कोशिश की तो मैंने तमंचा से उसके ऊपर फायर कर दिया जिसमें गोली किसी को नहीं लगी। इसके बाद में वहां से भाग गया। अभि0 की जामातलाशी से 01 अदद तमंचा 3.15 बोर, 02 अदद तमंचा व तमंचा नाल में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ बरामद हुआ । इस संबंध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 332/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–**

1. नवनीत यादव पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह नि0 ग्रा0 नगला गढु पोस्ट व थाना कुरावली जनपद मैनपुरी हाल पता के0डी0 हास्टल आगरा कालेज जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद कारतूस एक खोखा कारतूस 315 बोर।

- **वांछित/आपराधिक इतिहास का विवरण :–**

1. मु0अ0सं0 332/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
2. मु0अ0सं0 331/2019 धारा 307/386/504 आयुध अधि0 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
3. मु0अ0सं0 165/2019 धारा 147/307/336/504/506/427 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
4. मु0अ0सं0 191/2019 धारा 336/307/427/504/506 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
5. 137/2019 धारा 323/504/506/427/307 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
6. मु0अ0सं0 66/2019 धारा 147/148/149/504/506 भा0द0वि0 थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

1. उ0नि0 नीरज कुमार चौकी रूनकता थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
2. है0का0 दलवीर सिंह, है0का0 राजेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

<u>मीडिया सेल आगरा पुलिस।</u>